मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 08/07/2022

क्र. एफ 16-34/2022/ए-ग्यारह : राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स पिनेकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रा. लि. की पीथमपुर, जिला धार में रूपये 200 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से इलेक्ट्रिक वाहन, सेल/वैकल्पिक ईधन वाहन, निर्माण संयंत्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2203300002) पर निम्नानुसार सुविधाएं दिये जाने का निर्णय लिया गया -

1. **भूमि आवंटन में रियायत-** प्रस्तावित इकाई को पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन, सेक्टर 7 में भूमि आवंटन के समय प्रचलित भूमि के मूल्य एवं भूमि विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाये। इकाई को भूमि आवंटन के समय प्रस्तावित इकाई एवं इकाई के विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता का आकलन कर भूमि आवंटित की जाये।

2. **स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति-** परियोजना हेतु आवंटित/क्रय की जाने वाली शासकीय/निजी भूमि पर प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाये।

3. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता संयंत्र एवं मशीनरी, भवन, यूटिलिटी एवं सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी अधिग्रहण शुल्क, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण शुल्क (टीओटी), अनुसंधान एवं विकास व्यय, अमूर्त (Intangible) संपत्ति, प्रमाणन शुल्क (विनिर्माण, सुरक्षा, पर्यावरण, उत्पाद सम्बन्धी प्रमाण-पत्र हेतु) को सम्मिलित करते हुए 40 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान की जाये। परियोजना को रोजगार तथा निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा।

4. **ब्याज अनुदान-** संयंत्र एवं मशीनरी, भवन, यूटिलिटी एवं सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी अधिग्रहण शुल्क, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण शुल्क (टीओटी), अनुसंधान एवं विकास व्यय, अमूर्त (Intangible) संपत्ति, प्रमाणन शुल्क (विनिर्माण, सुरक्षा, पर्यावरण, उत्पाद सम्बन्धी प्रमाण-पत्र) हेतु लिये गये टर्म लोन के विरूद्ध भुगतान की गई वार्षिक ब्याज राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत 5 वर्षो की अवधि हेतु प्रतिपूर्ति की जाये। ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा रूपये 5 करोड प्रतिवर्ष होगी।

5. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अन्तर्गत लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु प्रचलित विद्युत टैरिफ में रूपये 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

6. **विद्युत शुल्क से छूट** - इकाई द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 10 वर्ष हेतु छूट प्रदान की जाती है।

7. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** - 3 वर्षो तक प्रतिमाह 20 कर्मचारियों के प्रशिक्षण/ कौशल विकास हेतु प्रति कर्मचारी रूपये 5000/- की सहायता प्रदान की जाये। सहायता की अधिकतम सीमा रूपये 36.00/- लाख होगी।

8. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

निरंतर .....

9. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

10. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 08 /07/2022

पृ. क्र. एफ 16-34/2022/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला - धार
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, M/s Pinnacle Mobility Solutions Private Limited, Sector No. 7, Plot No. 302, PCNTDA, Bhosari Pune, Maharashtra - 411026। ।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग